न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 06/2017

RCMS No. 2017/00310

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर		भंवरू पुत्र बंशी (मूल आवंटी) के का0मु0 1 संजय पुत्र भंवरू 2 नवरत्न पुत्र भंवरू 3 सीमा पुत्री भंवरू 4 सरस्वती पुत्री भंवरू 5 लता पुत्री भंवरू 6 पूनम पुत्री भंवरू 7 सूरज पत्नी भंवरू समस्त जातिगण ढोली निवासीगण रावणिया, तहसील रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम परिहार, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 5/2/2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 7 के पति को हुए भूमि के आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1030/285 रकबा 4.12 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/176–178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा भंवरू पुत्र बंशी को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन के आधार पर आवंटी का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 191 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। मूल आवंटी भंवरू फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी एवं आवंटी के पश्चात आवंटी के का0मु0 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण आवंटी एवं उसके का0मु0 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं आवंटन को अपास्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1030/285 रकबा 4.12 बीघा की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार भंवरू वल्द बंशी कौम ढोली के नाम गैर खातेदारी दर्ज है तथा इसमें लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 991 दिनांक 08.06.2015 विरासत से भंवरू वल्द बंशी फौत के स्थान पर संजय, नवरत्न पि0 भंवरू, सीमा, सरस्वती, लता, पूनम पुत्रियां भंवरू, सूरज पत्नी भंवरू सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 का उल्लंघन है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भंवरू पुत्र बंशी कौम ढोली सा0 रावणिया को ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1030/458 रकबा 4.12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि का दिनांक 26.06.1970 को किए गए आवंटन को निरस्त

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया जाता है तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायपुर को दिये जाते है, साथ ही तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा प्राप्त करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली